कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

(कक्ष प्रशासन–।।)

क्रमांक/क्षे.स्था.2/2260 भोपाल, दिनांक 25/5/16

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषयः वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण बावत।

--0--

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 16.5.2007 एवं इसके अनुक्रम में जारी निर्देश दिनांक 8.2.2008, दिनांक 4.4.2008, दिनांक 6.9.2008, दिनांक 29.9.2014 एवं परिपत्र क्रमांक 1507/1949/2010/1/3 दिनांक 23.10.2010 में उल्लेखित निर्देश अनुसार दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण की कार्यवाही निर्धारित है।

वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को किसी पद के विरूद्ध नहीं रखा गया है। सभी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक वन विभाग में आवश्यकतानुसार विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी कार्यो हेतु रखे गये थे। सभी श्रमिकों की सेवाएं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/सी–1–2013–3–एक दिनांक 30.5.2013 नियम के प्रावधान अनुसार संधारित है तथा उसी अनुसार उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 द्वारा मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील (सिविल) 3595–3612/1 सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य के प्रकरण में दिनाक 10.4.2006 को पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी अस्थाई श्रमिकों के नियमितीकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये है, जिसके अनुसार प्रमुख रूप से निम्नानुसार बिन्दु निर्धारित किये गये है–

1. संबंधित दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को विभाग में किसी कार्य विशेष के लिये स्वीकृत पदों के विरूद्ध रखा गया होना चाहिए।
2. संबंधित दैनिक वेतन भोगी श्रमिक को जिस कार्य विशेष के लिए रिक्त पद के विरूद्ध रखा गया है वह उस कार्य पर दिनांक 10.4.1996 के पूर्व से कार्यरत होना चाहिए तथा अभी भी विभाग में उसकी सेवाएं निरंतर जारी होना चाहिए।

E:\17.2.16\SN Singh\DVB .doc

3. संबंधित श्रमिक को कार्य विशेष या पद पर रखे जाने के लिए अभिप्रमाणित अभिलेख होना चाहिए।

4. संबंधित दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, प्रवर्ग (अनारक्षित/अनु.जाति/अजजा/अपिव) का प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, जिससे उसकी आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रवर्ग की वैद्यानिक रूप से पुष्टि सुनिश्चित हो सके।

5. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का नियमितीकरण जिला स्तरीय रिक्त पदों पर ही होना है, अतः इस प्रवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों की प्रवर्गवार सूची उपलब्ध होना चाहिए जिसके आधार पर प्रवर्गवार रिक्त पदों की गणना सुनिश्चित होना चाहिए।

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में निम्न निर्देश स्थापित किये गये–

(1) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 06 सितम्बर 2008 द्वारा निर्णय लिया गया कि–

(क) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हें नियुक्ति दिनांक को पद उपलब्ध न होने के कारण नियमित नहीं किया जा रहा है, को **वर्तमान में पद उपलब्ध होने की स्थिति में रोस्टर का पालन करते हुए वरिष्ठता क्रम में नियमित किया जाय।**

(ख) चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितीकरण के लिए **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का बन्धन नहीं होगा।**

(2) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 1507/1949/2010/1/3 दिनांक 23 अक्टूबर 2010 द्वारा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 से जारी निर्देश की कंडिका 5.1 के बिन्दु क्रमांक 2 में जिन दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध रखा गया है, उनके अब नियमितीकरण के संबंध में विचार किये जाने हेतु निम्न निर्देश दिये गये है–

''उक्त संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के पालन में जारी परिपत्र दिनांक 06.9.2008 के कंडिका–2.1 के तहत कार्यवाही की जानी है। जिसके अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्हे नियुक्ति दिनांक को पद उपलब्ध न होने के कारण नियमित नहीं किया जा रहा था, को वर्तमान में पद उपलब्ध होने की स्थिति में रोस्टर का पालन करते हुए वरिष्ठता क्रम में नियमित किया जा सकता है।''

(3) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दि.16 मई 2007 से जारी निर्देश की कंडिका 5.5 में उल्लेखित प्रावधान के स्थान पर निम्नानुसार निर्देश स्थापित किया गया है–

कंडिका 5.5–"**परन्तु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिस पद/संवर्ग में कार्यरत और उस संवर्ग का पद रिक्त न होकर अन्य कोई समकक्ष पद रिक्त है और वह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उस रिक्त पद की निर्धारित योग्यता धारण करता है तो उस समकक्ष रिक्त पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाय।**"

(4) म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3/76/08/10–1 दिनांक 30.5.2015 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पद नियमितीकरण हेतु **अधिकतम आयु सीमा का बंधन नही है।**

(5) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 दिनांक 06.2.2008 में निर्देश है कि दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थाई कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु राज्य स्तरीय छानबीन समिति की बैठक आयोजित कर पात्रता अनुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया निर्धारित है।

6. उपरोक्तानुसार स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी जो पूर्व से चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरूद्ध कार्य कर रहे है, उनको भृत्य के रिक्त पदों में जिलेवार नियमितीकरण हेतु विचार किया जाना है। वन विभाग में जिलेवार जो दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत है वह रिक्त पदो के विरूद्ध नहीं रखे गये है। प्रारंभ में यदि कुछ श्रमिकों के आदेश भी जारी किये गये तो वे भी रिक्त पदो के विरूद्ध नियुक्ति के स्वरूप में जारी नहीं किये गये, बल्कि कार्य की तत्समय आवश्यकता को देखते हुए जारी किये गये तथा पश्चातवर्ती वर्षो में वे भी अन्य श्रमिकों की तरह ही पारिश्रमिक प्राप्त करते रहे है एवं वर्तमान स्थिति में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/सी–1–2013–3–एक दिनांक 30.5.2013 के अंतर्गत प्रबंधित है। वन मुख्यालय में जो श्रमिक कार्य कर रहे है वह भी भोपाल जिला के अंतर्गत स्थापित विभिन्न विभागीय कार्यालयों से मुख्यालय में आते–जाते रहे है तथा समग्र व्यवहारिक रूप से भोपाल जिला इकाई अंतर्गत ही विचारणीय हैं।

शासन के उक्त निर्देशों के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश क्रमांक/72 दिनांक 28.4.2015 द्वारा समिति का गठन किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।) की अध्यक्षता में दिनांक

12.5.2016 को समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वनवृत्तों से प्राप्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की वरीयता सूची का परीक्षण शासनादेशों के तहत किया गया।

समग्र रूप से विचारोपरान्त समिति द्वारा तैयार कार्यवाही विवरण का प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदन किया गया है। तदनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना निर्देशित है–

1/ वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को जिलावार चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियमितीकरण हेतु विचार किया जाय। वन विभाग में राज्य स्तर पर दिनांक 01.4.2016 की स्थिति में जिलेवार, प्रवर्गवार 172 पद रिक्त है। दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भले ही किसी पद के विरूद्ध नहीं रखे गये, परन्तु यह चतुर्थ श्रेणी के न्यूनतम स्तर के पद है जिनके विरूद्ध वाहन चालक एवं सहायक महावत की भांति इनके नियमितीकरण हेतु विचार किया जाना चाहिए।

2/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।) के पत्र क्रमांक/स्था./फ–3/5663 दिनांक 29.5.1999 के अनुसार लघु वनोपज संघ/एस.एफ.आर.आई./राजधानी परियोजना/बी.डी.ए./वन विकास निगम तथा अन्य विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण पर विचार नहीं किया जाना है।

3/ जिलेवार दिनांक 10.4.1996 के पूर्व से कार्यरत सभी श्रमिकों का शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के प्रकाश में पात्रता निर्धारण हेतु वृत्त स्तरीय छानबीन समिति से परीक्षण कराया जाना चाहिए।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्देशों के प्रकाश में वृत्त स्तर पर छानबीन समिति गठित कर वृत्त के अंतर्गत जिलावार दिनांक 01.5.2016 की स्थिति में चतुर्थ श्रेणी (भृत्य, अर्दली, चौकीदार, खलासी) के रिक्त पदो के आधार पर जिले में जितने पद रिक्त है, उनके विरूद्ध पात्र दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सूची तैयार की जाना चाहिए।

पात्र एवं अपात्र श्रमिकों की जानकारी परिशिष्ट–1 एवं 2 में पृथक–पृथक परिशिष्ठों में तैयार की जाना चाहिए। संलग्न परिशिष्ठ–1 के प्रारूप में जानकारी संकलित की जाना चाहिए तथा समस्त जानकारी का पुष्टीकरण मूल अभिलेखों से करते हुए उनकी अभिप्रमाणित प्रतियां भी संलग्न की जाना चाहिए। नियमितीकरण हेतु पात्र श्रमिकों की चयन सूची उपलब्ध रिक्त पदो के बराबर इस प्रकार तैयार की जाना चाहिए की चयन सूची से रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार संबंधित प्रवर्ग के पात्र अभ्यार्थी चयन सूची में उपलब्ध हों। रिक्त पदो के बराबर ही चयन सूची के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची तैयार कर भेजी जाना

चाहिए। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्यवाही विवरण एवं अनुशंसा सहित वन मुख्यालय को प्रेषित की जाना चाहिए।

जिला स्तरीय छानबीन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा–

(1) मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) – अध्यक्ष

(2) जिले के लिए प्रवर्ग संधारण करने वाले नोडल वन मण्डल अधिकारी – सदस्य सचिव

(3) मु.व.सं.(क्षे.)द्वारा जिले अथवा वनवृत्त से नांमांकित अधिकारी– सदस्य

उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति वनवृत्त के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए पृथक–पृथक होगी। समिति में यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो तो एक अतिरिक्त सदस्य उपरोक्त सन्दर्भ में नामांकित किया जाना चाहिए। उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर विवरणात्मक प्रतिवेदन जून 2016 अन्त तक वन मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए।

संलग्न–परिशिष्ट–1

(सतीश त्यागी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठां.क्रमांक/क्षे.स्था.2/2261 भोपाल, दिनांक 25/5/16

प्रतिलिपि–

1. वरिष्ठ निज सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना/वन्यप्राणी/मा.सं.वि./कैम्पा) म.प्र. भोपाल
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वृत्त प्रभारी) म.प्र. भोपाल
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार/कार्य आयोजना/उत्पादन/वन्यप्राणी) म.प्र.
5. समस्त वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
मध्यप्रदेश भोपाल
25.05.2016

E:\17.2.16\SN Shingh\DVB .doc

मध्यप्रदेश वन विभाग

परिशिष्ट–1

वृत स्तरीय छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमितीकरण हेतु पात्र दैवेभो की चयन सूची/प्रतीक्षा सूची

क्र.	जिला	वनमंडल का नाम	दै.वे.भो. कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	दिनांक 10.04.1996 के पूर्व से कार्यरत है अथवा नहीं	वन विभाग में कार्य प्रारभ करने की तिथि	वन विभाग में कार्य अवधि (कब से कब तक)	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	प्रवर्ग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नाम .....

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

अध्यक्ष

नाम .....

(समिति सदस्य)

नोडल वनमण्डलाधिकारी

(सदस्य सचिव)

स्थान

दिनांक